पत्रांक:-भवन-03/स्था0ए0-08/2015...........7173 (भ) 3/5/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
2 1 JUL 2015
सं0 8743(D)

सेवा में,

सरकार के प्रधान सचिव-सह-
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

O.S.D.
H.L.C.

पटना, दिनांक- 9.7.15

विषय:- समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-002 दिनांक-19.05.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के नियमितिकरण पर विचारण हेतु वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-
07.7.15

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आ0-522
23/7/15
9TM. GAD
pl. scan & upload
23/7

D/chandan2015/Non G Section/Non G Word file/Non G Letter 1

संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले समिति के समक्ष उपलब्ध कराने के संबंध में।

भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के अधीन संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) के नियमितिकरण हेतु प्रतिवेदनः-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम	कनीय अभियंता (असैनिक)
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक)-09 एवं 24 कनीय अभियंताओं (संविदा) का अवधि विस्तार प्रक्रियाधीन है।
3	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी?	राज्य योजना/परियोजना के अधीन नियमित रिक्तियों के विरूद्ध।
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह ग या घ)।	समूह-ग
5	क्या यह पद स्वीकृत था? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश/पदसृजन आदेश।	हाँ, स्वीकृत्यादेश- पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग के पास उपलब्ध। वर्तमान में कनीय अभियंता के स्वीकृत पद (i) असैनिक 440 (ii) विद्युत 53 (iii) यांत्रिक 03 **कुल- 496**
6	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरूद्ध हुआ था अथवा नहीं।	हाँ।
7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सबकी छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।)	जल संसाधन विभाग से संबंधित।
8	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित।
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता।	डिप्लोमा-असैनिक डिग्री।
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थें अथवा नहीं।	हाँ।
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	जल संसाधन विभाग से संबंधित।
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
13	उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त नहीं है। कनीय अभियंता की नियुक्ति हेतु नोडल विभाग जल संसाधन विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को

		संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं की सेवा उपलब्ध करायी गयी थी, रिक्ति के अनुरूप पथ निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग को कनीय अभियंताओं की सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी।
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)	संलग्न।
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	1 (एक) वर्ष।
16	प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प सं0 2401, दिनांक-18.07.2007 एवं संकल्प सं0 8025 दिनांक-21.05.2013
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना।	संलग्न।
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि।	रूपये 20,000/- (बीस हजार रूपये)।
19	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी	माँग सं0-03 मुख्य शीर्ष-2059 लोक निर्माण कार्य उप मुख्य शीर्ष-80 लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन उपशीर्ष-0004 निष्पादन-2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ विपत्र कोड-N2059800010004
20	जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।	सामान्य प्रशासन विभाग एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित।

07.7.15

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।